छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 261/2006</u>

श्री संजय कुमार ठाकुर, ... अपीलार्थी
पाल काम्पलेक्स के पास,
जलगृह मार्ग, टिकरापारा
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(31 अगस्त 2006)

श्री संजय कुमार ठाकुर के द्वारा सूचना अधिकारी, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ से आवेदक की राज्य सेवा परीक्षा–2003 में हुए परीक्षा की उत्तरपुस्तिका की प्रति मांगी गई थी। जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को सूचित किया कि उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपियां दिये जाने से मूल्यांकनकर्ता, जांचकर्ता तथा मुख्य परीक्षक की पहचान हो सकती है तथा परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया एवं अभ्यर्थियों का चयन बहुत ही गोपनीय गतिविधि होती है। अतः उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील सचिव, लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत की गई। सचिव, लोक सेवा आयोग के द्वारा आवेदक की अपील अस्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

आयोग के द्वारा सूचना अधिकारी, लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया गया। लोक सेवा आयोग के सूचना अधिकारी के द्वारा जवाब में बतलाया गया कि केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा दिनांक 2–5–2006 को नीरज कुमार सिंघल विरूद्ध श्री एस.बी.गांधी, सिनियर डी.जी.एम., उत्तरपश्चिम रेल्वे मुख्यालय, जयपुर के प्रकरण में यह माना गया है कि उत्तरपुस्तिकाओं को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन गोपनीय गतिविधि है। अतः इसकी उत्तरपुस्तिका की प्रति नहीं दी जाना चाहिए। इसकी अंकसूची अवश्य दी जा सकती है।

मेरे द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि केन्द्रीय सूचना आयोग के उपरोक्त उल्लिखित आदेश के पूर्व आवेदकों को उनके द्वारा दी गई परीक्षा की उत्तरपुस्तिका की प्रति दी जा रही थी। किन्तु केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा परीक्षा की कार्यवाही को गोपनीय माने जाने के फलस्वरूप उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति अब नहीं दी जा रही है। अपीलार्थी का यह तर्क है

कि परीक्षा उसके द्वारा दी गई थी, अतः उसे अपनी उत्तरपुस्तिका की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। प्रकरण से स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के आधार पर शासकीय सेवा के लिए चयन होता है। परीक्षाओं का आयोजन, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन, प्रश्नपत्रों का बनाया जाना एवं उत्तरपुस्तिकाओं का जांचा जाना यह गोपनीय गतिविधियाँ है। इनके बारे में जानकारी देने से परीक्षा की गोपनीयता भंग होगी तथा परीक्षा की निष्पक्षता एवं उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन की निर्भीकता प्रभावित होगी। अतः आयोग का भी यह मत है कि उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति दिया जाना उचित नहीं होगा। चूंकि पूर्व में उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतियां दी गई है तथा अपीलार्थी केवल अपने ही उत्तरपुस्तिका के संबंध में जानकारी चाहता है, अतः लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी को उसके स्वयं की उत्तरपुस्तिका केवल अवलोकन के लिए उपलब्ध कराये। परीक्षार्थी को उसके द्वारा वांछित प्रश्नपत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन आयोग के अधिकारी के समक्ष निःशुल्क कराया जावे।

उक्त निर्देशों के साथ इस अपील का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त